582

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प.10(3)राज–6/2001–पार्ट/5 जयपुर, दिनांकः 26.6.2012

जिला कलेक्टर,
(समस्त राजस्थान)

परिपत्र

विभागीय परिपत्र दिनांक 25.04.11 से चारागाह भूमियो/जोहड़ पायतन (catchment of a pond/water reservoirs) और तालाबों की भूमियां का निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग हेतु आवंटन एवं नियमन को प्रतिबन्धित किया गया था।

उसकी निरन्तरता में एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की एकलपीठ द्वारा याचिका सं0 11153/11 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 29.5.12 की अनुपालना में निम्न विशेष निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. 1955 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कोई भी भूमि जो गैर मुमकिन नाला, तालाब, नदी, बांध अथवा पायतन उल्लेखित है, का आवंटन व नियमन सभी उद्धेश्यों (कृषि व गैर कृषि प्रयोजन) के लिये प्रतिबन्धित है।

2. 1955 के पश्चात जितने भी आवंटन, उक्त प्रकार की भूमियों में जो नाला, नदी, तालाब, बांध या पायतन दर्ज रेकार्ड थे तथा भूमि वर्गीकरण परिवर्तन कर कृषि प्रयोजनार्थ अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ कर दिये गये हैं, उन समस्त प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्यों सहित रेफरेन्स दर्ज करवा कर आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही की जावे।

3. बिन्दु सं0 1 में प्रयुक्त शब्द सांकेतिक है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की मूलभूत भावना, प्राकृतिक जलस्त्रोतों तक बरसात का पानी पहुंचाने वाले साधन यथा नाला, ट्रिब्यूट्री, पायतन, तालाब एवं प्राकृतिक जलस्त्रोत यथा तालाब, बांध, नदी, जोहड़ की भूमियों में किये गये आवंटन/नियमन तथा अतिक्रमणों को निरस्त करने व हटाने की है।

अतः तद्नुसार अनियमित आवंटन निरस्त करवाये जावें तथा साथ ही ऐसी भूमियों पर किये गये अवैध अतिक्रमण भी अभियान के तौर पर हटाने की कार्यवाही करें।

जारी किया जाय

प्रमुख शासन सचिव (राजस्व)
o/c